an>

Title: Need to provide adequate financial assistance to farmers in Rajasthan distressed due to loss of crops caused by recent unseasonal rains and hailstorms.

श्री ओम बिरला (कोटा) : मैं आपका ध्यान कोटा संभाग सहित सम्पूर्ण राजस्थान में इस वर्ष असमय भीषण ओलावृष्टि के कारण हुई तबाही की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त अवधि के मध्य हुई असमय ओलावृष्टि के कारण हाडौती सम्भाग विशेषकर कोटा, बूंदी जिले में किसानों की गेहूं, धनिया, सरसों सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कोटा संभाग सहित समस्त प्रदेश के अधिकांश किसान इस असामयिक प्राकृतिक विपदा के कारण गहरी आर्थिक विपत्ति में फंस गए हैं। प्रकृति की यह विपदा किसानों पर उस समय पड़ी है जब वह खेती संबंधित समस्त लागत लगा चुका है और फसल लगभग पक कर कटने को तैयार थी। उक्त खराब फसल का आकलन माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री मोहनभाई कुण्डारिया व केन्द्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री कलराज मिश्र जी द्वारा भी क्षेत्र का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया गया व किसानों की पीड़ा को समझा गया तथा प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की टीम को प्रभावित इलाकों में भेजा गया।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि किसानों के नुकसान के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हुए इतिहास में पहली बार आपदा राहत के मानदण्डों में शिथिलता देते हुए फसल नुकसान की सीमा 50 प्रतिशत की जगह 33 प्रतिशत की है, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को मुआवजा मिलेगा, किन्तु उस क्षेत्र के हालात इतने खराब हैं कि आकंठ कर्ज में डूबे किसानों के घर में इस वर्ष खुद के खाने के लिए भी गेहूं नहीं है और उसके समक्ष पूरे एक वर्ष तक इसी परिस्थिति में गुजारा करने का संकट आ खड़ा हुआ है। रबी की फसल उगाने के लिए किसानों द्वारा विभिन्न बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा जो अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराए गए थे, उनको चुकाने में किसान सर्वथा असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में 'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम दिए गए ऋणें पर ब्याज माफ करके उन्हें चुकाने की अवधि 30 जून 2016 तक बढ़ाया जाना आवश्यक है और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से दिए गए ऋणों सहित अन्य फसली ऋणों को माफ किया जाना चाहिए तभी किसान इस आपदा से उबर पाने में सक्षम हो सकेगा। साथ ही अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र में जहां इस वर्ष किसान के पास खाने का गेहूं भी नहीं बचा है, वहां नःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने की व्यवस्था की जाए। अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राजस्थान के पीड़ित किसानों को अधिकाधिक सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक राहत प्रदान करे।